

किन्नरों का सामाजिक संघर्ष

पूजा

शोधार्थी, हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा, भारत

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 13 March 2019

ABSTRACT

'हिजड़ा' कहलाना किसी 'मर्द' को अच्छा नहीं लगता, पिघला शीशा—सा कानों में उतरता है और 'हिजड़े' को 'हिजड़ा' कहो तो उसे गाली—सी नहीं लगती, पर कही अंतरस तक उसके मन में कचोट जरूर होती है। आखिर ईश्वर ने उसके साथ अन्याय क्यों किया? क्यों हम उन्हें अपने से दूर सामाजिक दायरे से बाहर हाशिए पर रखते चले आ रहे हैं? उनके प्रति हमारी सोच में अश्लीलता का चश्मा क्यों चढ़ा रहता है? एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य के साथ इतनी क्रूरता, मानवता को शर्मसार करती है। किन्नर बच्चे के जन्म लेते ही उसे फेंक दिया जाता है या फिर माता—पिता अपने नवजात बच्चे को किन्नरों के समूह को सौंप देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वह यौन विकलांग है। समाज किन्नरों को अपना अंश नहीं मानता। लोग उनके तौर—तरीके देखकर डरते हैं, कुछ उन पर हँसते हैं। उन्हें आर्थिक मजबूरी में चौराहों, सड़कों पर लोगों से पैसे माँगने पड़ते हैं और लोग उन्हें देखकर आँखें फेर लेते हैं।

उद्देश्य :-

भारतीय समाज में किन्नरों की दयनीय स्थिति और उनके सामाजिक संघर्ष का उद्घाटन

प्रस्तावना :-

किसी भी शुभ काम में किन्नरों का आशीष बड़ा मायने रखता है, लेकिन उन्हीं किन्नरों को समाज के लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें एक उचित स्वरूप प्रदान नहीं किया है। लेकिन इनके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा लोगों के जहन में रहती है। देश के विभिन्न हिस्सों में इन्हें अलग—अलग नामों से संबोधित किया जाता है। तेलगु भाषा में 'नपुसकुडु' तमिल में 'थिरु नंगई' पंजाबी में 'खुसरा' कन्नड़ में 'जोगप्पा' तथा हिंदी और उर्दू में 'हिजड़ा' नामों से इन्हें पुकारा जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। "पौराणिक ग्रंथों, वेदों—पुराणों और साहित्य तक में किन्नर हिमालय क्षेत्र में बसने वाली अति अतिप्रतिष्ठित व महत्वपूर्ण आदिम जाति है जिनके वंशज वर्तमान जनजातिय जिला किन्नौर के निवासी माने जाते हैं। जिसकी भाषा 'किन्नौरी' 'गलचा' 'लाहौली' आदि बोलियों के परिवार की है।" 1 संविधान में भी इन्हें किन्नौरी और किन्नर से संबोधित किया गया है। किन्नौर वासियों को जब जनजाति का प्रमाणपत्र दिया जाता है तो उसमें स्पष्ट लिखा जाता है—“the people of Kinnaur district belongs to kinnaura or kinnar tribe which is recognized as scheduled tribe under the schedule tribes list (modification) order 1956 and the state of Himachal Pardesh Act, 1970”

किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में दो प्रवाद हैं—“एक तो यह है कि वे ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठों से उत्पन्न हुए हैं और दूसरा यह है कि अरिष्ठा और कश्यप उनके आदिजनक थे।” 2 ज्योतिषशास्त्र के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है और रज की अधिकता से कन्या उत्पन्न

होती है। पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाच गाकर अपनी आजीविका चलाते थे। मुसलमान राजाओं ने हिजड़ों की नियुक्ति जनानखाने पर निगरानी रखने के लिए भी की थी। परंतु समय के साथ इनको समाज की मुख्यधारा से हटाकर हाशिये पर धकेल दिया गया। ब्रिटिश भारत में 18वीं शताब्दी में हिजड़ों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इन पर नियंत्रण करने के लिए पूरे समुदाय को ही अपराधी जनजातियों अधिनियम 1871 पारित करके अपराधी घोषित कर दिया। बाद में जब आजाद हिन्दुस्तान का नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल दिया गया। मगर उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला। “सेसेक्स 2011 में यह बात सामने आई कि हमारे देश में गाँवों में सबसे ज्यादा किन्नर हैं और इनकी संख्या 70 हजार के आसपास है। भारत में उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा किन्नर पाये जाते हैं। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल का नाम आता है।” 3

किन्नरों को हमारे समाज में घृणित दृष्टि से देखा जाता है। यह एक ऐसी जाति है जो लोगों के घरों में नाच गाकर, बधाईयाँ बाँटकर जीवन यापन करते हैं। इन्हें समाज का अंग मानने में समाज के ही लोग कतराते हैं। सरकार की तरफ से चलाई गई किसी भी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल पाता है। ये लोग पढ़ाई—लिखाई से वंचित हो जीवन यापन के लिए नाचने—गाने का कार्य करने लगते हैं। राह चलते हुए, सड़क पर तालियाँ बजाकर पैसे मांगते हुए इन्हें देखा जा सकता है। यह समुदाय आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। इन्हें अभी भी हीन और तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है। आज भी लोग इन्हें देखकर नाक—भौं सिकोड़ लेते हैं। आज विज्ञान की उन्नति से यह पता चल गया है कि यह कोई पाप का फल नहीं है, केवल एक क्रोमोसोमल डिजीज है। इसमें कई बार पैदा होने वाले बच्चे के जननांग विकसित नहीं होते,

इन्हें चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। फिर भी समाज ऐसे बच्चों को अपनाने की बजाय उनका तिरस्कार करता है। देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40-50 हजार की वृद्धि होती है। देशभर के तमाम किन्नरों में से 90 फीसद ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ किन्नर बिरादरी में वे लोग भी शामिल होते चले जाते हैं जो जनाना भाव रखते हैं। कई बार इस समुदाय के लोग लड़कों को जबरदस्ती अपने साथ शामिल करने के लिए उसके शरीर का अंग काटकर उसे भी किन्नर बना देते हैं। पहल बिना किसी चिकित्सा के बच्चे का अंग काट दिया जाता था जिससे शायद कई बार बच्चे की मौत भी हो जाती थी। आजकल इसके लिए कुछ डॉक्टर भी पैसों के लालच में इनके रैकेट में शामिल गए हैं।

परिवार द्वारा व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास संभव हो पाता है। लेकिन किन्नरों के जीवन का सबसे दुखदायी पहलू अपने परिवार से दूर हो जाना है। न चाहते हुए भी उन्हें पारिवारिक विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है, सिर्फ एक शारीरिक विकलांगता के कारण। संतान कैसी भी हो, उसमें कोई भी कमी क्यों न हो, माता-पिता को अपनी संतान हर हाल में प्यारी लगती है, फिर चाहे वह संतान किन्नर ही क्यों न हो। फिर भी सामाजिक परिस्थितियों या खानदान की मान-मर्यादा, अपनी झूठी शान के चलते अपने किन्नर बच्चे से उसके माता-पिता हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहते हैं। किन्नरों के जन्म को लोग पिछले जन्म का श्राप मानते हैं, कोई भी इन्हें शारीरिक विकलांग मानने को तैयार ही नहीं है। ये लोग दूसरों के घर में नाचते गाते हैं, लेकिन इनके यहाँ जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे जूतें-चप्पलों से पीटा जाता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर न बनाए। समाज द्वारा तिरस्कृत ये लोग अपना जीवन 'धिक्कार' मानते हैं।

किन्नरों को लेकर हमारा समाज संकीर्ण मानसिकता का शिकार हो जाता है। वे अपमानित और निष्कासित महसूस करते हैं। लोग उनकी मानवीयता नहीं उनकी शारीरिक विकृति को देखते हैं जो प्रकृतिजन्म है। उन्हें जीवनयापन की आधारभूत सुविधाएं ही नहीं मिलती, केवल लैंगिक विकृति की इतनी बड़ी सजा दी जाती है। बहुत कम किन्नर ऐसे भाग्यशाली हैं जिन्हें अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाते हैं और अपने परिवार में रह पाते हैं, क्योंकि अधिकतर किन्नरों को अपने पैरों पर खड़ा होने पर भी परिवार उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। प्रत्येक किन्नर का अपना एक अतीत होता है, उसका स्वयं का झेला हुआ संघर्ष होता है। 'कुकुज नैस्ट' कहानी किन्नरों के इसी संघर्ष को दर्शाती है और बताती है कि एक किन्नर यौन विकलांग जरूर है लेकिन साथ ही साथ एक मस्तिष्क का धनी भी है। उसका दिमाग भी ठीक वैसे ही सोचता है जैसे समाज के बाकी लोगों का। इसी कहानी की नाभिका एक किन्नर है, लेकिन बाकी किन्नरों की तरह वह गली-गली में गाते-बजाते हुए नहीं घूमती है। वह पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होती है। वह कुछ समय तक अपने काम के कारण घर से बाहर थी। आज एक साल बाद वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर घर लौट रही है। "पूरे

साल भर बाद लौट रही थी वह! एक नये रूप में नयी आशा और नये जीवन की रोशनी के साथ, जीवन के एक नये अर्थ के साथ।"4

जब भी कोई किन्नर पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसे अच्छे-बुरे, सही-गलत की परख होती है फिर कोई उसे बहला-फुसलाकर अपने समूह में जबरदस्ती शामिल नहीं कर सकता। किन्नर समाज के भी अपने नियम-कायदे होते हैं। ये लोग सामान्य लोगों से अधिक संवेदनशील होते हैं और धर्मनिरपेक्ष जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरों की सहायता करने में भी ये पीछे नहीं रहते किन्नरों को भी आम इंसान की तरह समाज में रहते हुए मूलभूत सुविधाओं के साथ जीने का पूरा अधिकार है। जहाँ तक इनकी शारीरिक विकृति का सवाल है तो वह आज के वैज्ञानिक युग में कोई असंभव बात नहीं रह गयी है। इस शारीरिक विकलांगता को दूर किया जा सकता है और ये लोग ठीक होकर फिर से समाज में सामान्य रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को भी अपने स्तर पर पहल करनी होगी, लोगों में इसके लिए जागृति लानी होगी।

किन्नरों की अगर समस्याएँ हैं तो इनका समाधान भी होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि उनके इस अंधरे को उजाले में कैसे बदला जाए। इनका विकास इन्हें समाज से काटकर नहीं बल्कि समाज की मुख्यधारा में जोड़कर ही किया जा सकता है। 'कुकुज नैस्ट' कहानी में भी लेखिका ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को हमें समझाने का प्रयत्न किया है - "एक तरफ समाज में जागरूकता लाने का काम हो, दूसरी तरफ इन लोगों को संविधान में नागरिक होने के अधिकार मिले। इनको वोट का अधिकार हो, इनके लिए राशन कार्ड की सुविधा हो। इनके लिए शिक्षा जरूरी हो। वो सभी सुविधाएँ जो समाज के दूसरे नागरिकों को प्राप्त हैं, इन्हें भी मिलें।"

वर्तमान में सरकार भी इन्हें मुख्यधारा में लाने का सराहनीय प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2014 को किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया। कोर्ट ने उन्हें अलग पहचान के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े समुदाय के तौर पर नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का अधिकार भी दिया है। लेकिन फिर भी न्यायालय के इन फैसलों से समाज में इनकी दशा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लोगों का इनके साथ व्यवहार नहीं बदला। इस वर्ग को आज भी अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ है। ये लोग आज भी समाज के दायरे से दूर अपनी अलग जिंदगी बिता रहे हैं।

निष्कर्ष :-

किन्नर हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। हम इनसे मुँह नहीं मोड़ सकते। इन्हें भी जीने का अधिकार है, अगर इन्हें सामान्य नागरिक के अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो इनमें अपराधी प्रवृत्ति बढ़ सकती है जो समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ये समाज और सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि समाज इनका मजाक न उड़ाए और न ही घृणा की दृष्टि

से देखें। जबकि समाज के प्रति ऐसी सम्मानित भावना उपरांत भी किन्नर समाज में तिरस्कृत और बहिस्कृत हैं। इनके आधे-अधूरेपन की वजह से भले ही समाज इन्हें अपना अंग मानने से इंकार करता रहे, मगर वास्तविकता यही है कि ये

समाज के अंग है। अंधे, कोढ़ी और अपंग लोगों की तरह किन्नर भी लाचार हैं, जबकि किन्नरों को तिरस्कार व उपेक्षा की नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. नगरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी विश्वकोश (1963)
2. <https://hi.m.wikipedia.org>
3. ByAnkursharma,published:July5,2015,12:14[Ist],hindi.oneindia.com
4. कमल कुमार, मदर मैरी और अन्य कहानियाँ, पृ0-67
5. वही, पृ0-80